



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F7(51)RajMES/Acad./Private Practice/2019/

दिनांक

परिपत्र

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में Non MBBS डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों के वेतन की गणना समेकित वेतन में से 10% Non Practicing Allowance (N.P.A.) के रूप में कटौती कर किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

उक्त आदेश वर्तमान में कार्यरत Non MBBS डिग्रीधारी एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले Non MBBS डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू होगा।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 212100001 दिनांक 01.01.2021 से प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है।

801-

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F7(51)RajMES/Acad./Private Practice/2019/ 170

दिनांक 22/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-I, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजमेस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. उप विधि परामर्शी, राजमेस, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर